यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक (उच्च शक्षा) निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी (नैनीताल**)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक (उच्च शक्षा) निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 02/2017 से 02//2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री पवन कुमार.सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23/02/2018 से 08/03/2018 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अर वन्द शर्मा स.ले.प.अ ध. एवं श्री संजय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री दयाशंकर वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/02/2017 से 23/02/2017 तक श्री डी0एन0 मश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2015 से 01/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2017 से 02/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः निदेशालय में समस्त राजकीय महा वद्यालयों के प्रबन्धन, नियत्रण, वकास एवं मूल्यांकन का दायित्व प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महा वद्यालयो में शासकीय माध्यम से वेतन वतरण एवं उनसे संबं धत अन्य प्राशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरी क्षत वेतन मानों में वेतन का निर्धारण कया जाना है। निदेशालय समुद्र तल से 424 मीटर है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से 02 कलो मीटर की दूरी पर है एवं जिले नैनीताल से 45 कलो मीटर की दूरी है।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0.00	0.00	348.05	282.53	58.10	50.35	0.00	73.27
2015-16	0.00	0.00	381.15	257.72	62.17	52.07	0.00	133.53
2016-17	0.00	0.00	436.00	280.42	66.69	45.33	0.00	176.93
2017-18 (01/2018)	0.00	0.00	395.89	309.27	61.72	31.24	0.00	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	व वध प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	रूसा (राजस्व पक्ष)	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00
	रूसा (पूंजीगत पक्ष)	0.00	123.75	.00	123.75	123.75	0 .00	0.00
2015-16	रूसा (राजस्व पक्ष)	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	रूसा (पूंजीगत पक्ष)	0.00	1321.93	0.00	1321.93	1321.93	0.00	0.00
2016-17	रूसा (राजस्व पक्ष)	0.00	1242.04	0.00	1242.04	1242.04	0.00	0.00
	रूसा (पूंजीगत पक्ष)	0.00	4891.01	0.00	4891.01	4891.01	0.00	0.00
2017-18 (01/2018)	रूसा (राजस्व पक्ष)	0.00	827.13	0.00	827.13	433.38	--	--
	रूसा (पूंजीगत पक्ष)	0.00	198.47	0.00	198.47	0.00	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) 1. स चव उच्च शक्षा 2. अपर मुख्य स चव उच्च शक्षा 3. निदेशक 4. संयुक्त निदेशक 5. उप निदेशक 6. वत्त नियंत्रक 7. सहायक निदेशक 8. लेखा अ धकारी 9. मुख्य प्रशासनिक अ धकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय निदेशक (उच्च शक्षा) निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी (नैनीताल) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक (उच्च शक्षा) निदेशालय उत्तराखंड, हल्द्वानी (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो- (ब)

प्रस्तरः- **1** समय से **93%** धनरा श जारी करने के बावजूद अनुबं धत समय सीमा में भौतिक प्रगति मात्र **13%** का प्रकरण वभागीय उदासीनता के कारण पाया जाना।

कार्यालय निदेशक उच्च शक्षा निदेशालय हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन उत्तराखण्ड के शासकीय महा वद्यालयों में निर्माणाधीन कार्यों की नमूना जाँच में चयनित कार्य राजकीय महा वद्यालय स्याल्दे (अल्मोड़ा) वज्ञान संकाय के निर्माणाधीन भवन से संबं धत प्रकरण की जाँच की गयी। जाँच में पाया गया क शासनादेश सं0 2308/XXIV(7)/2016-32(2)/13 दिनांक 20 फरवरी 2016 द्वारा उत्तराखण्ड शासन द्वारा ₹ 499.61 लाख लागत की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। अनुबंध के अनुसार परियोजना प्रारंभ करने की ति थ 03/2016 थी। इसी अनुक्रम में वभाग द्वारा ऊ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम अल्मोड़ा को दिनांक 20/02/2016 तथा दिनांक 22/03/2016 को क्रमशः ₹ 251.65 लाख तथा ₹ 214.87 लाख इस प्रकार कुल धनरा श ₹ 466.52 लाख कार्य हेतु अवमुक्त कर दी गयी तथा शर्तो के अनुसार कार्य 18 माह के भीतर अर्थात् अगस्त 17 तक पूरा कया जाना था, परंतु समय से कार्य हेतु 93% धनरा श जारी करने के बावजूद लेखापरीक्षा ति थ तक भौतिक प्रगति मात्र 13% की पायी गयी। इस संबंध में इकाई में वलम्ब का कारण, अनुश्रवण रिपोर्ट की कॉपी का रखरखाव संबंधी अ भलेख अनुपलब्ध पाया गया।

इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क कार्यदायी संस्था से स्पष्ट करा लया जायेगा तथा शासनदेश में दिये गये निर्देशों का पालन हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देश निर्गत कये जाते हैं।

उत्तर तर्क संगत नहीं पाया गया, शासन में निदेशालय की अहम भू मका है जो फल्ड इकाई तथा शासन के मध्य कड़ी का कार्य करती है। समन्वय, नियत्रण तथा अनुश्रवण की भारी कमी के कारण इकाई की कार्यों पर पकड़ ढीली पायी गयी, फलस्वरूप निचले स्तर से शासकीय धन का मनमाने ढंग से प्रयुक्त करना पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर **2**:- कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु ₹ 942.38 लाख की धनरा श अवमुक्त करने के बावजूद सम्प्रेक्षा ति थ (02/2018) तक अधतन भौतिक प्रगति प्राप्त न करना एवं ₹ 404.33 लाख का उ पयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना।

क्र0 सं0	योजना का नाम /इकाई का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत/आग णत धनरा श/दिनांक	शासनादेश संख्या/दिनांक	निर्माण इकाई को अवमुक्त (लाख) धनरा श लाख
01	राजकीय महा वधालय बरकोट (उत्तरकाशी) के भवन निर्माण हेतु	परियोजना प्रबन्धक उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम ल मटेड उत्तरकाशी	478.39/04/03/14	838/xxiv(7)/2014-07(घी)/13 दिनाक-04/03/2014	478.39
02	राजकीय महा वद्यालय चनयाली सौड के भवन के भवन निर्माण हेतु	परियोजना प्रबन्धक उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम ल मटेड उत्तरकाशी	480.97/19/01/16	1548/xxiv(7)-48(2)/2015/21/10/2015	463.99

बिन्दु-(1) की आख्या - स चव उत्तराखंड शासन के पत्रांकसख्या-**950/xxiv**(7)/2015-07(घी)/13 दिनांक 17/08/2015 द्वारा कार्यालय को राजकीय महा वद्यालय बरकोट (उत्तरकाशी) के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-838/xxiv(7)/2014-07(घी)/13 दिनांक-04/03/2014 स्वीकृत धनरा श ₹ 478.39 लाख के सापेक्ष ₹ 478.39 लाख की सम्पूर्ण धनरा श अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक मात्र 42% भौतिक प्रगति इकाई द्वारा प्रस्तुत अ भलेखो मे दर्शाइ गयी थी, जब क एमओयू (MOU) के बिन्दु संख्या -02 मे स्पष्ट प्रावधान कया गया था क 03/2016 तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होना था, निर्माण एजेन्सि को 100% धनरा श वतरित करने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, कार्य की धीमी प्रगीति के सापेक्ष कोई भी साक्ष्य सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। निर्माण एजेन्सि को प्रदान की गयी ₹ 478.39 लाख की धनरा श के सापेक्ष निर्माण एजेन्सि द्वारा इकाई को सम्प्रेक्षा ति थ(02/18) तक मात्र ₹ 304.94 की धनरा श का उ पयोगता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया था, शेष धनरा श ₹ 173.45 की धनरा श का उ पयोगता प्रमाणपत्र निर्माण एजेन्सि स्तर पर सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक लम्बित पड़ा था। वभाग द्वारा सम्प्रेक्षा को इकाई के उच्च

अ धकारियों द्वारा कार्यस्थल की अनुश्रवण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी थी। लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर मे अवगत कराया की अधतन कार्य की प्रगति रिपोर्ट निर्माण एजेन्सि से प्राप्त कर सूचना सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी।

बिन्दु-(2) की आख्या - स चव उत्तराखंड शासन के पत्रांकसख्या-**xxiv(7)/2016-40(2)/13** दिनाक-19/01/2016 द्वारा कार्यालय राजकीय महा वधालय चनयाली सौड के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1548/xxiv(7)-48(2)/2015/21/10/2015 द्वारा स्वीकृत धनरा श ₹ 480.97 लाख के सापेक्ष ₹ 463.99 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक मात्र 32% भौतिक प्रगति इकाई द्वारा प्रस्तुत अ भलेखो मे दर्शाइ गयी थी, जब क एमओयू (MOU) के बिन्दु संख्या -02 मे स्पष्ट प्रावधान कया गया था क 03/2017 तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होना था, निर्माण एजेन्सि को 96% धनरा श वतरित करने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, कार्य की धीमी प्रगीति के सापेक्ष कोई भी साक्ष्य सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। निर्माण एजेन्सि को प्रदान की गयी ₹ 463.99 लाख की धनरा श के सापेक्ष निर्माण एजेन्सि द्वारा इकाई को सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक मात्र ₹ 249.12 लाख की धनरा श का उपयो गता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया था, शेष धनरा श ₹ 230.88 लाख की धनरा श का उपयो गता प्रमाणपत्र निर्माण एजेन्सि स्तर पर सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक लम्बित पड़ा था। वभाग द्वारा सम्प्रेक्षा को इकाई के उच्च अ धकारिओ द्वारा कार्यस्थल की अनुश्रवण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी थी। लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर मे अवगत कराया की अधतन कार्य की प्रगति रिपोर्ट निर्माण एजेन्सि से प्राप्त कर सूचना सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी।

लेखा परीक्षा मे इकाई द्वारा बिन्दु (1) &(2) के संबंध मे दिया गया उत्तर मान्य नहीं हैं क्यो क कार्यदायी संस्था को धनरा श समय से इकाई द्वारा प्राप्त करा दी गयी थी कार्यदायी संस्था की श थलता के कारण निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं कया जा सका। कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा भ वष्य मे पुनरी क्षत (REVISED) estimate प्रस्तुत करने की पूरी संभावना हैं। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर **3:-** कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु समस्त धनरा श अवमुक्त कए जाने के बावजूद धनरा श रु 255.61 लाख के निर्माण कार्य का अपूर्ण पाया जाना।

उत्तराखण्ड मे उच्च शक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के तहत संचा लत ब्रहध निर्माण कार्य संबन्धित जांच मे पाया गया क राजकीय महा वद्यालय काण्डा, बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 2002(1)/xxiv (7)9(2)/2009, दिनाक 24.12.2011 एवं 635/xxiv(7)/2013-9(2)/2011, दिनाक 25.03.2013 द्वारा क्रमश: धनरा श रु 8.57 एवं 247.04 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन वकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर के साथ ग्राहक वभाग का अनुबंध दिनांक 26.03.2013 को कया गया जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ के 28 माह (अगस्त 2015 तक) के अन्दर पूर्ण कया जाना निर्धारित था, अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य मे वलम्ब होने की दशा मे 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के वलम्ब की स्थिति मे) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सि से कए जाने का प्रावधान था।

संप्रेक्षा मे पाया गया क कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन वकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर को उक्त स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष प्रथम एवं द् वतीय कश्त के रूप मे क्रमश रु 100.00 लाख (दिनांक 04.04.13) एवं 147.04 (दिनांक 31.03.14) लाख की धनरा श अवमुक्त/प्रदान कए जाने के उपरान्त भी अनुबंध अनुसार कार्य समाप्ती के 28 माह से अ धक वलम्ब होने के उपरान्त भी कार्य की वर्तमान प्रगति मात्र 40 प्रतिशत पायी गयी अर्थात निर्माण कार्य हेतु समस्त धनरा श कार्यदायी संस्था को समय से अवमुक्त/ प्रदान कए जाने के बावजूद वर्तमान तक कार्य अपूर्ण पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य मे वलम्ब का प्रमुख कारण कार्य स्थल तक एप्रोच रोड (पहुच मार्ग) नही होना पाया गया। आगे जांच मे पाया गया निर्माण कार्य प्रारम्भ कए जाने से पूर्व ही पत्रांक 78-2/2011-12, दिनांक 29.08.11, के माध्यम से सू चत कया गया था क चयनित भू म तक पहुचने के लए मोटर मार्ग संबन्धित कार्यवाही की जाए। इसी क्रम मे पत्रांक 534/उच्च शक्षा /34, दिनाक 30.06.2012 के माध्यम से परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर द्वारा यह स्पष्ट कया गया था क महा वद्यालय काण्डा के लए चयनित निर्माण स्थल तक कोई भी पहुच मार्ग नही है। अ भलेखो क जांच मे पाया गया क महा वद्यालय भवन के लए नि र्मत वस्तृत आगणन (डीपीआर) बनाते वक्त भी भवन निर्माण के अतिरिक्त स्थलीय वकास एवं पहुच मार्ग संबन्धित कोई प्रावधान नही कया गया फर भी शासन मे कार्यरत टी ए सी (technical audit committee) द्वारा आगणन क तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, फलस्वरूप कार्य वर्तमान तक अपूर्ण है। उक्त बातों को नजर अंदाज करते हुए कार्यदायी संस्था को कुल 255.61 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कया गया तथा अनुबंध

के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्माण कार्य वलम्ब से कए जाने संबन्धित कोई जुर्माना (penalty) वसूल नही कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया क प्राचार्य काण्डा, बागेश्वर से हुई वार्ता के क्रम मे कच्ची एप्रोच रोड की व्यवस्था करा दी गयी है।

उत्तर मान्य नही है क्यो क बिना एप्रोच रोड सुनिश्चित कए आगणन (डीपीआर) तैयार कया गया एवं निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष सम्पूर्ण धनरा श कार्यदायी संस्था को समय से अवमुक्त करने के बावजूद निर्माण कार्य निर्धारित समय मे पूर्ण नही कया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर **4:-** दिशानिर्देश के वपरीत व्ययावर्तन **(Diversion)** का प्रकरण पाया जाना।

रूसा के दिशानिर्देश (Component No-7) में रूसा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा महा वद्यालय को अनुमन्य अनुदान में व्यय हेतु व भन्न मदों के लए निर्धारित सीमाओं निर्माण कार्य (35%), पुननिर्माण व उच्चीकरण (35%), व नई सु वधाओं (30%) से अ धक व्यय करने से पूर्व भारत सरकार एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कया जाय।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय द्वारा प्रस्तुत अ भलेख शासनादेश सं0 1068/XXIV(7)/2018-19(2)15 दिनांक 06 फरवरी 2018 के द्वारा तथ्य प्रकाश में आया क रूसा के तहत 25 महा वद्यालयों को जारी धनरा श का योजना के अनुरूप चार महा वद्यालयों को जारी धनरा शयों के आँकड़े नियम संगत नहीं पाये गये, जिसका ववरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	रूसा से आच्छादित महा वद्यालय का नाम	अनुमोदित रा श	नई सु वधाओं पर व्यय	स वल कार्यो पर व्यय	(₹ लाख में) शेष रा श
1.	रा0 महा0 उत्तरकाशी	303.30		295.50 (97%)	7.80
2.	रा0 महा0 मनिला	224.08	29.04 (13%)	195.04 (87%0)	
3.	रा0 महा0 गरूड़ाबांज	138.36	4.00 (3%)	134.36 (97%)	
4.	रा0 महा0 बाजपुर	132.83	52.71 (39%)	80.12 (61%)	
5.	रा0 महा0 गुप्तकाशी	146.84	62.89 (43%)	83.95 (57%)	

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है क रूसा मानदण्ड के अनुसार रा0 महा0 उत्तरकाशी के लए नई सु वधाओं पर 30% व्यय कया जाना था जब क स वल कार्य पर लगभग समस्त रा श व्यय कर दी गयी। मनिला में नई सु वधाओं पर 30% की जगह मात्र 13% व्यय कया गया, गरूड़बाज में 3% व्यय तथा बाजपुर एवं गुप्तकाशी में निर्धारित प्रतिशत से क्रमशः 9% एवं 13% अ धक व्यय कया गया जिसकी प्रतिपूर्ति स वल कार्यों की रा श से व्ययावर्तन करके की गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क रूसा कार्यालय से स्थिति स्पष्ट कर उपलब्ध करा दी जायेगी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, निदेशालय द्वारा परियोजना के क्रयान्वयन पर निगरानी न रखा जाना तथा प्रकरणों पर अन भज्ञता बताकर अन्यत्र टाला जाना गैरजिम्मेदाराना रूख को दर्शाता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1:**- इकाई द्वारा बरती गयी श थलता के कारण निदेशालय मे कार्यरत अ धकारियो/ कर्मचारियो के सामान्य भ वष्य नि ध खाते के ब्याज मद मे ₹ 28123.00 धनरा श का त्रुटिपूर्ण आगणन एवं अन्य अनिय मतता के सम्बंध मे।

उत्तरप्रदेश सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -1985 एवं उत्तराखंड सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -2002 से संचा लत निदेशालय मे कार्यरत अ धकारियो/कर्मचारियो एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर तैनात कर्मचारियो के सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे निदेशालय द्वारा ब्याज मद मे अ धक ब्याज की धनरा श की गणना दर्ज कर अनिय मतताये बरती गई है, जिनका ववरण निम्नवत हैं।

क्र0 सं0	अ भदाता का नाम	वर्ष	तृतीय/चतुर्थ श्रेणी खाता संख्या	सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे इकाई द्वारा आग णत ब्याज (₹)	सम्प्रेक्षा द्वारा आग णत ब्याज (₹)	ब्याज के अंतर की धनरा श(₹)
01	मोहन लाल शाह	2016-17	COEDU/2370	प्रारम्भिक अवशेष-513958.00 अ भदान/अ ग्रम की वापसी-214076.00 ब्याज की धनरा श-60003.00 योग-788037.00 आहरण की धनरा श-शून्य अन्तिम अवशेष-788037.00	प्रारम्भिक अवशेष-513958.00 अ भदान/अ ग्रम की वापसी-214076.00 ब्याज की धनरा श-50777.00 योग-778811.00 आहरण की धनरा श-शून्य अन्तिम अवशेष-778811.00	9226.00
2	मनोज कुमार	2016-17	COEDU/51422	प्रारम्भिक अवशेष-488146.00 अ भदान/अ ग्रम की वापसी-61384.00 ब्याज की धनरा श-36336.00 योग-585866.00 आहरण की धनरा श-396000.00 अन्तिम अवशेष-189866.00	प्रारम्भिक अवशेष-488146.00 अ भदान/अ ग्रम की वापसी-61384.00 ब्याज की धनरा श-32825.00 योग-582355.00 आहरण की धनरा श-396000.00 अन्तिम अवशेष-186355.00	3511.00

3	डॉ0 रचना नौटियाल	2016-17	COEDU/14000	प्रारम्भिक अवशेष-2474951.00 अभदान/अग्रम की वापसी-388304.00 ब्याज की धनराश-195478.00 योग-3058733.00 आहरण की धनराश-500000.00 अन्तिम अवशेष-2558733.00	प्रारम्भिक अवशेष-2474951.00 अभदान/अग्रम की वापसी-388304.00 ब्याज की धनराश-181317.00 योग-3044572.00 आहरण की धनराश-500000.00 अन्तिम अवशेष-2544572.00	14161.00
04	श्रीमतिल लता प्रभा शर्मा	2016-17	KEDU/14067	प्रारम्भिक अवशेष-4196377.00 अभदान/अग्रम की वापसी-197264.00 ब्याज की धनराश-226041.00 योग-4619682.00 आहरण की धनराश-1500000.00 अन्तिम अवशेष-3119682.00	प्रारम्भिक अवशेष-4196377.00 अभदान/अग्रम की वापसी-197264.00 ब्याज की धनराश-225292.00 योग-4618933.00 आहरण की धनराश-1500000.00 अन्तिम अवशेष-3118933.00	749.00
05	कुमारी पुष्पा मेहरा	2016-17	COEDU/7698	प्रारम्भिक अवशेष-1026507.00 अभदान/अग्रम की वापसी-123552.00 ब्याज की धनराश-32777.00 योग-1182836.00 आहरण की धनराश-750000.00 अन्तिम अवशेष-432836.00	प्रारम्भिक अवशेष-1026507.00 अभदान/अग्रम की वापसी-123552.00 ब्याज की धनराश-32401.00 योग-1182460.00 आहरण की धनराश-750000.00 अन्तिम अवशेष-432460.00	376.00

06	श्री डी0एस0 बग्रवाल	2016-17	KEDU/10244	प्रारम्भिक अवशेष-444416.00 अ भदान/अ ग्रम की वापसी-183199.00 ब्याज की धनरा श-25096.00 योग-652711.00 आहरण की धनरा श-400000.00 अन्तिम अवशेष-252711.00	प्रारम्भिक अवशेष-444416.00 अ भदान/अ ग्रम की वापसी-183199.00 ब्याज की धनरा श-24,996.00 योग-652611.00 आहरण की धनरा श-400000.00 अन्तिम अवशेष-252611.00 योग-	100.00
01	श्री लालू राम	2016-17	COEDU/51339/NTL/4574/00007	1 अ भदाता को आदेश संख्या-03 दिनाक-12/04/2016 ₹ 90000.00 का अस्थाई अ ग्रम प्रदान कया गया। 2 अ भदाता को आदेश संख्या-16 दिनाक-16/09/2016 ₹ 51000.00 का अस्थाई अ ग्रम प्रदान कया गया	अ भदाता से अ ग्रम की वसूली(कस्तों मे) निम्न ववरण के अनुसार की गयी थी। 1 05/16 से 03/17-3500*5=17500.00 3000*6=18000.00 योग-35500.00 2 04/2017 से08/2017-3500*5=17500.00 कुल कटोती-53000.00	अन्तर की धनरा श ₹ 88000.00का समायोजन सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक अ भदाता के सामान्य भ वष्यनि ध खाते से नहीं कया गया था।

उक्त प्रकरण मे इकाई द्वारा उपर mentioned अ भदाताओ के सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे ₹ 28123.00 की धनरा श का अ धक ब्याज आग णत कया गया था एवं अ भदाता श्री लालू राम सामान्य भ वष्यनि ध खाता संख्या -COEDU/51339/NTL/4574/00007 के वर्ष - 2016-17 मे उनके द्वारा आहरित अस्थाई अ ग्रम ₹ 90000.00 की धनरा श की वसूली कए बिना ही नया अस्थाई अ ग्रम ₹ 51000.00 स्वीकृत कर दिया गया, जबकी अ भदाता से पूर्व मे दिये अस्थाई अ ग्रम ₹ 90000.00 की धनरा श की वसूली पूर्ण नहीं हुई थी जिसके फलस्वरूप अ भदाता से ₹ 88000.00 की वसूली सम्प्रेक्षा ति थ (02/18) तक लम्बित थी। उक्त अनिय मतताये के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को

अवगत कराया गया हैं क प्रकरण की जांच करने के उपरांत त्रुटियो के सम्बंध मे सूचनाये सम्प्रेक्षा को प्रे षत की जाएगी।

इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं क्यो क यदि आहरण- वतरण अ धकारी द्वारा समय रहते पासबुको क जांच की होती तो निदेशालय मे कार्यरत अ धकारियो/कर्मचारियो एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर तैनात कर्मचारियो के सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे ब्याज मद मे अ धक ब्याज की धनरा श की गणना दर्ज करने सम्बन्धी अनिय मततायों फ लत नही होती इकाई द्वार उत्तरप्रदेश सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -1985 एवं उत्तराखंड सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -2002 के नियमो का उलंघन करते हुए पूर्व आहरित अस्थाई अ ग्रम ₹ 90000.00 की धनरा श की वसूली कए बिना ही नया अस्थाई अ ग्रम ₹ 51000.00 की स्वीकृती करने की अनिय मतता से बचा जा सकता था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
63/2002-03	01	01,02	
103/2004-05	01	01,02	
60/2011-12	01,02,03,04	01	
91/2015-16	--	01,02,03,04,05,06	
158/2016-17	--	01,02,03	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर सं0 लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
63/2002-03 103/2004-05 60/2011-12 91/2015-16 158/2016-17	बिन्दु सं0 01 व 02 की अनुपालन आख्या जिसमें उपरोक्त संद र्भत वर्षो के अनिस्तारित पैरो की अनुपालन आख्या से संबं धत है प्रारम्भ से अबतक पत्रावली की जाँच कर समस्त प्रकरण की अनुपालन आख्या नि र्धरित प्रारूप में भरकर उ चत माध्यम से महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) को अ वलम्ब प्रस्तु कया जायेगा।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेत कार्यालय निदेशक (उच्च शक्षा) निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी (नैनीताल) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

शून्य

1. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	डॉ. बी.सी. मलकानी	निदेशक	वगत लेखापरीक्षा में
2.	डॉ. स वता मोहन	निदेशक	वर्तमान सम्प्रेक्षा अव ध (02/17 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय निदेशक (उच्च शक्षा) निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी (नैनीताल) इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.